तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज Gems-2022/15/ **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,** नीमकाथाना **उनवानी सागरमल बनाम भूमिधारी वगै0 मु.सं. 641/2022**	नम्बर व तारीख अहक इस हुकम की तामील जारी हुए
10-09-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवम् संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम "सुगरा पुत्र सोहन" दर्ज हैं जबकि प्रार्थी का नाम "सुगरा पुत्र सोहन" की जगह "सागरमल पुत्र सोहनलाल" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :– **<u>आदेश</u>** तहसीलदार पाटन तन ग्राम जीताला पटवार हल्का लादी का बास तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित ख. नं. 45, 46, 48, 64 व 199 कुल किता 05 कुल रकबा 2.76 है0 में प्रार्थी का गलत दर्ज नाम "सुगरा पुत्र सोहन" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "सागरमल पुत्र सोहनलाल" दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पाटन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) **उपखण्ड अधिकारी,** नीमकाथाना	